संख्या-160/2022/1532/22-2-2022-17(484)/2022

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 14 अक्टूबर, 2022

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद् सिद्धदोष बन्दी गोपाल चौधरी पुत्र श्री पारसनाथ चौधरी, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14659/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-12-04-2022) दिनांक-06-05-2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद् सिद्धदोष बन्दी गोपाल चौधरी पुत्र श्री पारसनाथ चौधरी, जो मेहनिया, थाना-महुली, जनपद-सन्त कबीरनगर का रहने वाला है। बंदी ने चकबंदी के मुकदमा के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 07.11.2001 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर विपत चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-403/2002 एवं 219/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, व 3/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सीं0-03, बस्ती के आदेश दिनांक 22.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। केस नं0-6081/2005, में भा0द0वि0 की धारा-323, 325, 504 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के आदेश दिनांक 22.10.2008 द्वारा 03 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 15 वर्ष, 10 माह, 31 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, संत कबीरनगर ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने चकबंदी के मुकदमा के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 07.11.2001 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर विपत चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला

प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल चौधरी पुत्र श्री पारसनाथ चौधरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी गोपाल चौधरी (बन्दी संख्या-03/2012) पुत्र श्री पारसनाथ चौधरी, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तद्नुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतदद्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(कृष्ण कुमार सिंह)

उप सचिव।

संख्या-160/2022/1532(1)/22-2-2022 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-160/2022/1532/22-2-2022-17(484)/2022

दिनांक 14 अक्टूबर, 2022 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी गोपाल चौधरी पुत्र श्री पारसनाथ चौधरी, जो मेहनिया, थाना-महुली, जनपद-सन्त कबीरनगर का रहने वाला है। बंदी ने चकबंदी के मुकदमा के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 07.11.2001 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर विपत चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-403/2002 एवं 219/2004, में भा0द0वि0 की धारा-302/34, व 3/25ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/ एफ0टी0सी0-03, बस्ती के आदेश दिनांक 22.09.2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। केस नं0-6081/2005, में भा0द0वि0 की धारा-323, 325, 504 में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बस्ती के आदेश दिनांक 22.10.2008 द्वारा 03 वर्ष कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 13.12.2021 तक 15 वर्ष, 10 माह, 31 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष, 10 माह, 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक एवं जिला प्रोबेशन अधिकारी, संत कबीरनगर ने बंदी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है।

बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने चकबंदी के मुकदमा के विवाद की रंजिश को लेकर दिनांक 07.11.2001 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर कट्टे से गोली मारकर विपत चौधरी नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी का अपराध समाज को प्रभावित करने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा, निर्दिष्ट 05 बिन्दुओ की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समिति एवं निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोवेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी गोपाल चौधरी पुत्र श्री पारसनाथ चौधरी को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।